संख्या–पी–5 / 14–2–2017–800(2) / 2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 03 ~~फरवरी~~ मार्च **2017**

विषयः– कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिठूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1638 / कानपुर नगर / 22879 / 2016, दिनांक 03 फरवरी, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिठूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–पी–5 (1) / 14–2–2017–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3– जिलाधिकारी, कानपुर।
4– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर।
5– श्री एम0 के0 मिश्रा, अधिशासी कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

आज्ञा से,

(आर0 वी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।